नियुक्ति/सूचना

कृपया शासनादेश संख्या 2591/33–2–16–03जी/2013 पंचायती राज अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 12, अगस्त, 2016 द्वारा उ0प्र0 जिला पंचायत कर्मचारी सेवा नियमावली विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत एवं मा0 अध्यक्ष जी की स्वीकृति से समूह ''ग'' के निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित प्रारूप में भारतीय नागरिकों से दिनांक 29.08.2016 तक पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। निश्चित तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

रिक्तियों का विवरण

क्र0 सं0	पद का नाम	वेतनमान	ग्रेड-पे	रिक्त पद	जाति	अनिवार्य अर्हता	आयुसीमा
1	कनिष्ठ लिपिक	5200–20200	2000	03	01 अनुसूचित जाति 02 अनारक्षित	इण्टरमीडियट के साथ–साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त " सी0सी0सी0" प्रमाण –पत्र तथा हिन्दी/अग्रेजी में क्रमश कम से कम 25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति रखते हो।	18–40

सामान्य निर्देश :–

1. आवेदन पत्र अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मेरठ के पते पर भेजे जाये जो दिनांक 29.08.2016 को सायं 05:00 बजे के उपरान्त डाक विभाग से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें।
2. आवेदन संलग्नक रूप पत्र पर केवल पंजीकृत डाक द्वारा ही स्वीकार किये जायेंगे। व्यक्तिगत रूप से अथवा कोरियर द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगें। लिफाफे पर पद का नाम अवश्य लिखा होना चाहिये।
3. आवेदन पत्र के साथ यथा आवश्यक समस्त शैक्षिक योग्यता, अनुभव प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, की स्वंय द्वारा प्रमाणित प्रतिया संलग्न की जायें।
4. अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
5. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर टाईप अथवा स्पष्ट अध्यक्षरों में भरा होना चाहियें तथा उस पर नवीनतम पासपोर्ट साईज के अभिप्रमाणित फोटो यथास्थान चिपकाये तथा साथ ही स्वयं प्रमाणित दो फोटो एवं दो लिफाफे 10×23 सेमी0 जिनमें एक पर 30/– रूपये के टिकिट चस्पा हो तथा पत्र व्यवहार का पता, **मोबाईल नम्बर, ई– मेल आई0डी0 स्पष्ट रूप से टाईप किया हुआ** अंकित हो। आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

6. ऐसे पुरूष अभ्यर्थी जिनके एक से अधिक जीवित पत्नियॉ हो एवं ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसके पूर्व से ही पत्नी हो, पात्र नहीं होगे।

7. आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अन्तिम तिथि 29.08.2016 है। **लिखित परीक्षा अनिवार्य होगी।**

8. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को शैशिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे। साक्षात्कार की तिथि, समय व स्थान की सूचना पंजीकृत डाक से दी जायेगी। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।

9. **लिपिक पद हेतु टंकण परीक्षा अनिवार्य अर्हता है।** जिसके लिए टाईप राईटर की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं करनी होगी।

10. आयु सीमा 18–40 वर्ष है। उ0प्र0 जिला पंचायत कर्मचारी सेवा नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुसार वे ही पात्र होंगे जिन्होने 01 जनवरी, 2016 को 18 की आयु पूर्ण कर ली हो तथा 40 वर्ष से अधिक न हो। आरक्षित श्रेणी के लिए अधिकतम आयु में नियमानुसार छूट अनुमन्य है।

11. यथा आवश्यक पदों की संख्या घटाई–बढाई जा सकती है।

12. किसी भी विवाद की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं बंधनकारी होगा।

(प्रदीप कुमार)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, मेरठ।

कार्यालय जिला पंचायत, मेरठ

पत्रांक **3080** /जि0पं0 मेरठ/ 2016–17 दिनांकः **12,अगस्त,2016**

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. उप निदेशक, जिला पंचायत, अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मेरठ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
5. जिला सेवा योजन अधिकारी, मेरठ।
6. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मेरठ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त सूचना वेबसाइट **www.meerutnic.in** पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. सम्पर्क एडवरटाईजिंग ऐजेन्सी को इस आशय के साथ प्रेषित उपरोक्त विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में कम से कम स्थान पर शासकीय दर पर प्रकाशित कराकर बिल भुगतान हेतु समाचार पत्र की तीन प्रतियों सहित अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

779

DIO NIC

ह0 आ0 का0

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
कलैक्ट्रेट, मेरठ।
16-8-16

(प्रदीप कुमार)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, मेरठ।